न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ।

अपील संख्या-91/2015

ताराचन्द पुत्र श्योचन्द जाति जाट निवासी मोरवा तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू।

---अपीलान्ट---

---बनाम---

1- रेशमा पुत्री श्योचन्द
2- राजकुमार पुत्र अमरसिंह
3- नौरंगराम पुत्र उदमीराम

} जाति जाट निवासी मोरवा तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू {राज0}

4- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चिडावा जिला झुन्झुनू {राज0}

5- उप पंजीयक अधिकारी नायब तहसीलदार सूरजगढ जिला झुन्झुनू {राज0}

--रेस्पोंडेन्टस---

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री
दिनांक 28-4-2015 द्वारा उप
खण्ड अधिकारी सूरजगढ ।

---0---

उपस्थिति-

1-श्री भारतभूषण शर्मा एडवोकेट- अपीलान्ट

2-श्री गोरधनसिंह एडवोकेट- रेस्पोंडेन्ट

निर्णय दिनांक- 30.4.2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादिया/रेस्पोंडेन्ट संख्या-1 ने अदालत मातहत में दावा बाबत घोषणात्मक, रेकार्ड दुरूस्ती स्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया कि आराजी ख0नं0 235 रकबा 2.19 हैक्टर ग्राम मोरवा वादियाएवं प्रतिवादी संख्या-1 की पैत्रिक भूमि है । श्योचन्द के दो संतान हुई जिसमें एक वादीया एवं दूसरी सन्तान प्रतिवादी सं0-1 हुआ । श्योचन्द फौत हुआ तबप्रतिवादी संख्या-1 के नाम नामान्तरकरण अकेले के नाम गलत भरा गया ।

खातेदारी प्रतिवादी संख्या-1 के नाम होने से प्रतिवादी सं0-1 ने 0.44 हैक्टर भूमि प्रतिवादी सं0-2 को विक्रय कर दी तथा 0.66 हैक्टर भूमि प्रतिवादी सं0-3 को विक्रय कर दी। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या-1 ने अपने हिस्से की आराजी का विक्रय कर चुका । तथा वादीया की शेष रही 1/2 हिस्से की आराजी को बेचान करनी की धमकी दी, तथा प्रतिवादी संख्या-1 बतौर साजिस अपनी पत्नी से बिरमा बनाम ताराचन्द पेश कर रखा जिसको डिग्री करने की धमकी तथा राजस्व रेकार्ड के आधार पर आराजी को विक्रय करने की धमकी दी । जिस पर वादीया ने यह दावा अदालत मातहत में पेश किया जिसे बाद सुनवाई स्वीकार कर लिया जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । अदालत मातहत ने अपीलान्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने से पूर्व कानून व विधि के प्रावधानों की पालना नहीं की । अदालत मातहत में अपीलान्ट की तामिल चस्पांदगी के आधार पर तामिल मानी है जबकि चस्पांदगी से तामिल करवाये जाने के कोई आदेश नहीं हुये । ना ही अपीलान्ट की तामिल हुई ना ही अपीलान्ट के घर की किसी ने पहचान की ना ही यह बताया कि अपीलान्ट का घर किसी साईड में खुलता हुआ है । तथा नोटिस कहां चस्पा किया कोई उल्लेख नहीं है ।अपीलान्ट की तामिल विधिनुसार नही हुई । अदालत मातहत ने तामिल कुनिन्दा से भी कोई साक्ष्य नही ली है जबकि तामिल के बाबत तामिल कुनिन्दा की परीक्षण तक नहीं कर आदेश पारित किया है । अदालत मातहत की आर्डरशीट में प्रार्थी को नोटिस जारी करने का कोई नोट अंकित नहीं है । इससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थी/अपीलान्ट की तामिल के लिए कब नोटिस जारी हुआ कब तामिल कुनिन्दा गया व कब नोटिस चस्पा किया ना ही प्रार्थी के नोटिस पर चस्पा करने की दिनांक व समय अंकित नहीं किया है । न्यायालय की तारीख पेशी में भी कांट छांट कर रखी है ।इससे अपीलान्ट न्यायालय की तारीख पेशी जिस पर हाजिर होना था उस में काट छांट होने से भी तामिल मानकर आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है । वादीया ने अपने दावे के पैरा संख्या-3 व 6

में अंकित किया है कि प्रतिवादी संख्या-। व उसकी पत्नी बिरमा देवी ने एक दावा बिरमा बनाम ताराचन्द पेश कर रखा है तथा रेशमा को उक्त वाद पत्र के आधार पर ही काज आफ एक्शन उत्पन्न होना दर्ज किया है ।इस प्रकार यदि रेस्पोडेन्ट संख्या-। को उक्त दावा बिरमा बनाम ताराचन्द की जानकारी हो गई थी तो सर्वप्रथम उस दावे में पक्षकार बनकर अपने हिस्से का क्लेम करना चाहिये था रेस्पोडेन्ट संख्या-। उस दावे में पक्षकार नहीं बनी और यह दावा वादीया ने गलत रूप से पेश किया है । पूर्व के वाद पत्र में पक्षकार न बनकर यह दावा बतौर साजि पेश कर अपीलान्ट की तामिल गलत रूप से करवाकर दावा डिक्री करवा लिया जो विधि के विपरित है । आदेशिका में कहीं भी दर्ज नहीं किया गया कि प्रतिवादी सं0-4 व 5 की तामिल कब हुई अर्थात बिना तामिल करवाये ही दावा डिक्री किया है ।तहसीलदार को पक्षकार बनाये जाने से पूर्व धारा-80सीपीसी का नोटिस नहीं दिया । रेस्पोडेन्ट ने दावा विवादित आराजी को पैत्रिक बताते हुये दावा किया है किन्तु यह आराजी पैत्रिक है अथवा नहीं यह तथ्य दोनो पक्षों की साक्ष्य लिये जाने के बाद ही निश्चित किया जा सकता था तथा विवादित आराजी में रेस्पोडेन्ट संख्या-। का हक हिस्सा है अथवा नहीं यह सब तथ्य साक्ष्य के बाद ही निश्चित किये जा सकते थे किन्तु अदालत मातहत ने दावे में अपीलान्ट की तामिल चस्पांदगी से विधि विरूद्ध मानकर दावा डिक्री किया है जो विधि विरूद्ध है ।अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय एवं डिक्री निरस्त कर प्रकरण रिमाण्ड किया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । दावा अदालत मातहत में दिनांक 3-11-2011 को पेश किया गया ।जिसका निर्णय दिनांक 28-4-15 को किया गया है ।अर्थात दावा लगभग 42 माह तक चला है । प्रतिवादी सं0-2 व 3 की और से वकील हाजिर आये हैं ।दिनांक 16-4-15 की

आदेशिका में प्रतिवादी संख्या-1 का सम्मन प्राप्त लिखा है । जिसकी तामिल के आदेश दिनांक 28-4-15 को पारित कर आदेश पारित किया गया है । मिलान क्षेत्रफल के अनुसार गत ख0नं0 107 मीन से हाल ख0नं0 235 रकबा 7.49 हैक्टर बने है । जमाबन्दी सं0-2032 से 2035, 2028 से 2031 में ख0नं0 107 रकबा 32 बीघा 6 बिस्वा की खातेदारी अन्य सह खातेदारों के साथ नौरंग, श्योचन्द, श्रीराम, रामदेव पि0 उदमी हि0 1/4 हिस्सा दर्ज है । जमाबन्दी सं0- 2050 से 2053, 2054 से 2057, 2058 से 2061, 2062 से 2065 में ख0नं0 235/1 रकबा 2.19 हैक्टर की खातेदारी ताराचन्द पुत्र श्योचन्द के नाम दर्ज है । जमाबन्दी सं0 2066 से 2069 में ख0नं0 235 रकबा 2.19 हैक्टर की खातेदारी ताराचन्द पुत्र श्योचन्द के नाम दर्ज है । राजस्व रेकार्ड से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी जमाबन्दी सं0-2050 से 2053, 2054 से 2057, 2058 से 2061, 2062 से 2065 में विवादित आराजी के गत ख0नं0 107 में अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या-1 का पिता अन्य सहखातेदारों के नाम के साथ खातेदार दर्ज है । श्योचन्द का फौती इन्तकाल दर्ज होने पर अपीलान्ट संख्या-1 के नाम ख0नं0 235 रकबा 2.19 हैक्टर दर्ज किया है जबकि श्योचन्द की एक पुत्री रेस्पोडेन्ट सं0-1 है जो अपीलान्ट की बहिन है यह स्वीकृत तथ्य है । वंशावली को अपीलान्ट ने कहीं चैलेन्ज नहीं किया है । यह भी स्वीकृत है कि विवादित आराज अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता के नाम सहखातेदारी में दर्ज है । तथा श्योचन्द के फौत होने पर श्योचन्द की खातेदारी उसके पुत्र ताराचन्द के नाम अकेले के दर्ज हुई है जो गलत है । श्योचन्द की एक जायन्दा सन्तान रेस्पोडेन्ट सं0-1 भी है जो श्योचन्द की आराजी में 1/2 हिस्सा रखती है । अदालत मातहत ने सभी तथ्यों पर गौर करते हुये रेस्पोडेन्ट संख्या-1 को आराजी ख0नं0 235 रकबा 2.19 हैक्टर में से 1.09 हैक्टर का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है । अपीलान्ट द्वारा यह कहना गलत है कि उसकी तामिल नहीं हुई । अपीलान्ट का नोटिस बाद चस्पांदगी से तामिल होकर प्राप्त है । इस प्रकार अपीलान्ट का यह कहना भी गलत है कि तामिल नहीं

करवाई गई हो। अपीलान्ट न्यायालय में बाबजूद सूचना हाजिर नहीं हुआ । राजस्व रेकार्ड से विवादित आराजी अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या-1 के पिता श्योचन्द के नाम अन्य सहखातेदारों के साथ दर्ज है । जो श्योचन्द के देहान्त के बाद अकेले अपीलान्ट के नाम दर्ज हुई है जबकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या-1 भी श्योचन्द की जायन्दा पुत्री है। आराजी पैत्रिक होने से अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या-1 का विवादित आराजी में 1/2, 1/2 हिस्सा है । अदालत मातहत ने रेस्पोडेन्ट सं0 6-1 को विवादित आराजी में 1/2 हिस्से की खातेदार घोषित की है जो कानूनन सही है । अपील का किसी कानूनी बिन्दू पर निर्णय न कर अपील को अन्दर मियाद शुमार [illegible] किया जाता है ।

अपील अपीलान्ट साबित नहीं होने से अपील खारिज की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी सूरजगढ का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28-4-2015 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 30.4.2018 को सुनाया गया ।

30/4/18

(भंवरलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर

1. प्रार्थना पत्र वर्णित का क्रमांक दिनांक.................
2. प्रतिलिपी तैयार करने का दिनांक.................
3. प्रतिलिपी जारी करने का दिनांक.................
4. प्रतिलिपी शुल्क.................
4. [illegible] करने वाले के हस्ताक्षर.................